मुन्तकिली प्रकरण सं0 67/2017 अनवानी 1–काले खां पुत्र चिराग खां 2– जाले खां उर्फ जलालदीन पुत्र काले खां 3–कमालदीन पुत्र कोले खां जाति मुसलमान निवासी खेरूवाला तहसील सादुलशहर बनाम 1–खुशी मोहम्मद पुत्र चिराग खां 2– मुंशी सह पुत्र खुशी मोहम्मद 3–मीने खं 4– मोहम्मददीन 5–मोहम्मद बक्श 6–सैयद अली 7–अकबर अली जाति मुसलमान नि0 खेरूवाला तहसील सादुलशहर 8–रामेश्वरलाल वगैरा कुल 31

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.10.2017

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री रामप्रकाश गुप्ता उपस्थित है। उन्हे एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण के अभिभाषकगण का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में लंबित वाद अनवानी खुशी मोहम्मद वगैरा बनाम काले खां आदि अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के आधार पर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के लिए प्रार्थीगण ने यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अब चूंकि पीठासीन अधिकारी श्री भंवर लाल कासोटिया, उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। यदि उनका यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र पर इसी आधार पर खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपति है।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में लंबित वाद अनवानी खुशी मोहम्मद वगैरा बनाम काले खां आदि अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के आधार पर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के लिए प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर श्री भंवरलाल कासोटिया का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर